न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 22/2019
GCMS NO. : 2019/00006

-: प्रार्थीगण :-

1. सुशिला पत्नी बीरमाराम जाति- बावरी, निवासी ग्राम डिगरना तहसील जैतारण, जिला- पाली राज0।

बनाम

-: अप्रार्थीगण :-

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला- पाली राज.।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 06/02/2019

उपस्थितः- 1. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार राज।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 01/02/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना की सीमा मे ख0नं0 1238/906 रकबा 3-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी की स्थित है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 तक व नक्शा ट्रेस साथ पेश है। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि खरीद सुदा कृषि भूमि है वक्त खरीद बेचानकर्ता ने उपरोक्त कृषि भूमि को नापचौप कर मौके पर चारो तरफ खन्दक लगाकर कब्जा प्रार्थीया को सुपूर्द किया उसी अनुसार बाद जांच प्रार्थीया के पक्ष मे म्युटेशन जारी किया गया। वर्तमान प्रार्थीया उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार है। नकल म्युटेशन प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। ख0नं0 906 क्षेत्रफल मे बहूत बड़ा है जिसमे प्रार्थीया की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है राजस्व रेकर्ड के नक्शे मे प्रार्थीया कय सुदा भूमि का नक्शे मे तरमीम नही हो रखा है, इस वजह से बार बार अन्य खातेदारान् व पड़ौसी सीमाज्ञान को लेकर विवाद उत्पन्न करते है इस कारण यह प्रार्थनापत्र पत्थरगढ़ी व नक्शे मे तरमीम करने बाबत् श्रीमान् के समक्ष पेश है तथा वर्तमान मे प्रार्थीया की कय सुदा कृषि भूमि ख0नं0 1238/906 का नजरी नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है जिसमे प्रार्थीया की कृषि भूमि लाल रंग से दर्शायी है। उपरोक्त खसरान् भूमि के नापचौप एवं सीमाज्ञान करने बाबत् अप्रार्थी [illegible] र साहब, जैतारण को कई बार प्रार्थनापत्र पेश किये [illegible] प्रार्थनापत्र पेश किये तथा उक्त खसरान भूमि का सीमाज्ञान [illegible] प्रार्थनापत्र पेश किये लेकिन अप्रार्थी एवं रेवेन्यु अधिकारीयो द्वारा आज दिन तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की तथा न ही अप्रार्थी द्वारा एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीया की भूमि का नापचौप कर सीमाज्ञान किया गया न ही पत्थरगढ़ी तारबन्दी की गई न ही राजस्व रेकर्ड के नक्शे मे तरमीम किया गया। जिससे प्रार्थीया को आए दिन आस पास के पड़ौसियो से खन्दक तारबन्दी पत्थरगढी व सीमाज्ञान जैसी समस्याओ का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

ना करना पड़ रहा है तथा पडौसी खातेदार इस बात का नाजायज फायदा उठाते आए दिन प्रार्थीया को सीमाज्ञान एवं सीमा विवाद की बात को लेकर तंग व रेशान करते रहते है तथा प्रार्थीया के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी दा करते है तथा खन्दक आदि बिखेर देते है जिससे कई बार मौके पर विवाद होता है तथा पुलिस कार्यवाही होती है तथा और भी विवाद होने की संभावना है जिससे मल्टी प्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिग्स होती है। प्रार्थी द्वारा कई बार अप्रार्थी को इस सीमाज्ञान नक्शे मे तरमीम करने एवं सीमा विवाद बाबत् निवेदन किया तथा पटवार हल्का डिगरना को उक्त खसरान् भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थर गड्डी करवाने एवं नक्शे मे तरमीम करने तथा तारबन्दी करवाने बाबत् प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया लेकिन आज दिन तक सीमाज्ञान एवं नक्शे मे तरमीम नही किया गया तथा इस कारण प्रार्थीया को अनेको प्रकार की परेसानियो का। सामना करना पड़ रहा है तथा पडौसी खसरान् खातेदार प्रार्थीया की खन्दक तथा सीमा पाल पत्थरगड्डी आदि तोड देते है तथा बिखेर देते है तथा सीमा विवाद करते तथा प्रार्थीया को अपने उपयोग उपभोग खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मे मेडबन्दी तारबन्दी पत्थरगड्डी नही करने देगे तो प्रार्थीया को अपनी उपयोग उपभोग की आराजी मे काफी तकलीफ व दिक्कते आयेगी जिससे प्रार्थीया अपने जायज हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा इसलिए यह प्रार्थनापत्र सीमाज्ञान करवाने एवं नक्शे मे तरमीम करने तथा तारबन्दी करवाने पत्थरगड्डी करवाने माठे कायम करवाने व नेखमबन्दी कराने बावत् प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश है। दिनांक 25/01/2019 को अप्रार्थी एवं पटवारी हल्का डिगरना को प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन करने पर भी सीमाज्ञान एवं राजस्व नक्शे मे तरमीम नहीं करने पर व पडौसी खसरान् भूमि के खातेदार द्वारा मौके पर विवाद करने एवं मेडबन्दी बिखरने एवं अवैध अतिकमण करने की धमकीया देने सीमा विवाद उत्पन्न हुआ इसलिए प्रार्थीया उक्त खसरान् भूमि का मौके पर सीमाज्ञान करवाकर राजस्व रेकर्ड नक्शे मे तरमीम करवाकर पत्थरगड्डी तारबन्दी मेडबंदी करवायी जावे इस आशय का। प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थी सादिर पेश है। अन्य उजर एतराज बरवक्त बहस निवेदन किये जायेगे। प्रार्थनापत्र पर माफिक कानून न्याय शुल्क सादर पेश है। प्रार्थनापत्र पत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित राजस्व मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0 कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज मे खसरा नम्बर 1238/906 रकबा 3-07 बीघा कृषि भूमि की प्रार्थीया एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज उपयोग ... है का मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर नेखमबंदी पत्थरगड्डी आदि करवाकर ... नक्शे में प्रार्थीया की भूमि को तरमीम की जावेराजस्व रेकर्ड मे अमल ... किया जावे इस आशय की पालना राजस्व रेकर्ड मे भी की जावे नक्शे मे पालना की जावे तथा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही पत्थरगड्डी नेखमबन्दी सीमाज्ञान आदि करवाये जाने के आदेश दिये जावे इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रार्थीया का स्वीकार फरमाया जावे तथा अन्य कोई सहायता जो प्रार्थीया पाने का अधिकारी हो तो न्यायहित मे दिलाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जैतारण द्वारा पत्र क्रमांक LR/19/5885 दिनांक 25.11.2019 को जवाब प्रार्थनापत्र मय मौका फर्द रिपोर्ट पेश हुई, जो सा0मि0 है। तहसीलदार जैतारण ने रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम डिगरना के खसरा संख्या 1238/906 रकबा 03-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल के खातेदार सुशीला पत्नि बीरमाराम जाति बावरी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि प्रार्थिया द्वारा खरीदशुदा है, जिसका प्रार्थिया के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाकर बतौर खातेदार दर्ज किया जा चुका है। उक्त खसरा नम्बर की राजस्व नक्शे लट्ठे में तरमीम की जा चुकी है, नक्ल नक्शा लट्ठा संलग्न है। उक्त खसरा नम्बर पर पडौसी खातेदारान् आए दिन सीमा विवाद है जिसका मुकदमा पुलिस विभाग में विचाराधीन है। प्रार्थीया द्वारा पत्थगढ़ी हेतू अनुतोष चाहा गया है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थिया के पड़ौसी खसरान के खातेदार द्वारा मेड़बन्दी बिखेरने एवं मौके पर विवाद करने के कारण विवाद हुआ है। अतः पत्थरगढ़ी हेतू प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थिया द्वारा तरमीम व पत्थरगढ़ी हेतू अनुतोष चाहा है। प्रार्थिया की भूमि की तरमीम दिनांक 08.07.2019 को की जा चुकी है। रिपोर्ट उपरोक्तानुसार श्रीमान्जी के सेवा में सादर प्रेषित है। बहस सरकारी पैरोकार एवं वकील प्रार्थी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में यह कथन किया है कि "खसरा संख्या 906 क्षैत्रफल में बहुत बड़ा है जिसमें प्रार्थीया की उक्त खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया की क्रयसुदा भूमि का नक्शे में तरमीम नहीं हो रखा है इस वजह से बार बार अन्य खातेदारान एवं पड़ोसी सीमाज्ञान को लेकर विवाद उत्पन्न करते हैं।" इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी की सीमा को लेकर पड़ोसी काश्तकारों के साथ विवाद विद्यमान है लेकिन प्रार्थीया द्वारा किसी भी पड़ोसी काश्तकार को प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। प्रार्थीया द्वारा केवल तहसीलदार जैतारण को बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया है। किसी भी खातेदार को पक्षकार बनाये बिना एवं उसका पक्ष सुने बिना उसके विरूद्ध किसी प्रकार आदेश पारित करना विधि संगत एवं न्यायोचित नहीं हो सकता। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 1238/906 [illegible] है तथा विक्रय विलेख के आधार पर प्रार्थीया के पक्ष में नामान्तरण [illegible] होकर राजस्व नक्शे में तरमीम की जा चुकी है। पटवारी डि[illegible] से भी इसकी पुष्टि होती है। अतः प्रार्थीया सीमाज्ञान हेतु औपचारिक रूप से तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवा सकती है।

अतः प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी की सीमा के सम्बन्ध में विवाद रखने वाले सम्बन्धित पड़ोसी खातेदारान/काश्तकारान् को प्रार्थना पत्र में बतौर अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रकारान् संयोजित नहीं करनें एवं प्रार्थना पत्र भलीभांति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें खारिज/अस्वीकार किया विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 128, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 01/02/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested